न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 295/2025

विक्रम सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गोदारों का बास, बडापाना तन भौडकी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 295/2025 पर दिनांक 17.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3564–65 दिनांक 17.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट) झुंझुनूं ने पत्रांक प 2(27) भू0अ0/आरटीआई/2022/6701 दिनांक 01.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन कमांक 348913345788444 दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला कलक्टर कार्यालय, झुंझुनूं से सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 214 दिनांक 17.06.2025 द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारी अधिकारी भू0अ0 कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को भेजा गया। पत्र इस कार्यालय को दिनांक 18.06.2025 को प्राप्त हुआ। उक्त सूचना तहसीलदार, गुढागौडजी के कार्यालय से संबंधित होने से कार्यालय का पत्रांक 6244 दिनांक 20.06.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार गुढागौडजी को लिखा गया। तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 587 दिनांक 16.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 तक की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। इससे पूर्व की सूचना तहसील उदयपुरवाटी से संबंधित है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2185–86 दिनांक 28.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि जनवरी 2014 से मार्च 2022 तक की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने बहस मे अवगत कराया कि उसे माहवार सूचना उपलब्ध कराई गई है। प्रार्थी को तारीखवार सूचना उपलब्ध करानी थी। पद रिक्त होने के समय कार्यवाहक कर्मचारी के पदस्थापन की सूचना भी उपलब्ध नही कराई गई है।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, भू0अ0 कलेक्ट्रेट) झुंझुनूं पत्रांक प 2(27)भू0अ0/आरटीआई/2022/6701 दिनांक 01.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन कमांक 348913345788444 दिनांक 16.06.2025 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला कलक्टर कार्यालय, झुंझुनूं से सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 214 दिनांक 17.06.2025 द्वारा

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उक्त सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रभारी अधिकारी भू0अ0 कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को भेजा गया। पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 18.06.2025 को प्राप्त हुआ। उक्त सूचना तहसीलदार, गुढागौडजी के कार्यालय से संबंधित होने से कार्यालय का पत्रांक 6244 दिनांक 20.06.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार गुढागौडजी को लिखा गया। तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 587 दिनांक 16.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 तक की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। इससे पूर्व की सूचना तहसील उदयपुरवाटी से संबंधित है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2185–86 दिनांक 28.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि जनवरी 2014 से मार्च 2022 तक की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी का यह कथन सही है कि उसे कार्मिक के पद्स्थापन की सूचना उसे तारीखवार उपलब्ध नही कराई गई है व पद रिक्त होने के समय कार्यवाहक कर्मचारी के पद्स्थापन की सूचना भी उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी एवं तहसीलदार गुढागौडजी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को कार्मिकों के पद्स्थापन की सूचना उसे 7 दिवस मे तारीखवार उपलब्ध कराई जावे व पद रिक्त होने के समय कार्यवाहक कर्मचारी के पद्स्थापन की सूचना भी उपलब्ध कराई जावे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं